रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112022-240383 CG-DL-E-17112022-240383

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5146] No. 5146] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 17, 2022/कार्तिक 26, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 17, 2022/KARTIKA 26, 1944

### सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2022

का.आ. 5372(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.540 (अ) तारीख 09.02.2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के लातूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 361 के कि.मी. 505.550 कि.मी. से 567.000 कि. मी. तक के भूखंड के निर्माण (चौड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "25.02.2022" को " सकाळ " और " लोकमत समाचार " दोनों में प्रकाशित किया गया था.

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है.

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है.

7663 GI/2022 (1)

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए.और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची महाराष्ट्र राज्य के लातूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या.361 के कि.मी. 505.550 से कि.मी. 567.000 तक (गांजुर से रालगा खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विविरण

राज्य व	राज्य का नाम: महाराष्ट्र जिले का नाम: लातुर								
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम				
1	2	3	4	5	6				
	तालुक का नाम: अहमदपुर								
	गांव का नाम: अहमदपुर								
1	124	निजी	कृषि	0.0261	सुमनबाई बापुराव शेळके गोविंद बापुराव शेळके गोपाळ बापुराव शेळके मनोरथ बापुराव शेळके (124)				
	गांव का नाम: शिरुर (ताजबंद)								
2	516	निजी	कृषि	0.0101	माधव नागनाथ साखरशेटे (516)				
3	516	निजी	कृषि	0.0052	प्रदिप माधवराव साखरशेटे (516)				
	तालुक का नाम: चाकुर								
	गांव का नाम: अलगरवाडी								
1	147	निजी	कृषि	0.0506	नागनाथ रामा सांगवे (147)				
2	147	निजी	कृषि	0.0104	त्रिंबक रामा सांगवे (147)				
3	162	निजी	कृषि	0.0169	उमाकांत रामलिंगप्पा मळभागे (162)				
4	162	निजी	कृषि	0.0074	संजय व्यंकटराव इंद्राळे (162)				
5	162	निजी	कृषि	0.0086	हरिश्चंद्र पंढरीनाथ कोंबडे (162)				

6	162	निजी	कृषि	0 0119	व्यंकट बाबाराव कांडणगिरे (162)
7	162	निजी	कृषि	IN N252	व्यंकटी लक्ष्मण डोंगरे (162)
8	174	निजी	कृषि	IN N512	उषा शिवकुमार कोरे (174)
9	174	निजी	कृषि	0 0188	अलगरवाडी रस्ता (174)
			कुल	0.2424	

[फा. सं. NHAI/LA/NH-361/2015/3D1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2022

**S.O.** 5372(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 540 (E), dated 09.02.2022, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (ii) issued under sub-section (1) of section 3(A) of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc),maintenance, management and operation of National Highway No 361 on the stretch of land from Km. 505.550 to Km. 567.000 (Ganjur to Ralga Section) in District Latur in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification has been published in "Sakal" and "Lokmat Samachar "both dated 25.02.2022, under sub- section (3) of section 3(A) of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3(D) of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government; Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3(D) of the said, Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3(D) of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

### **SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land form Km. 505.550 to Km. 567.000 (Ganjur to Ralga section) of the National Highway – 361 in the state of Maharashtra

State: MAHARASHTRA District: Latur									
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.				
1	2	3	4	5	6				
	Taluk: Ahmadpur								
	Village: Ahmadpur								
1	124	Private	Agricultural	0.0261	Sumanbai Bapurao Shelke Govind Bapurao Shelke Gopal Bapurao Shelke Manorath Bapurao Shelke 124				
	Village: Shirur Tajband								
2	516	Private	Agricultural	0.0101	Madhav Nagnath Sakharshete 516				
3	516	Private	Agricultural	0.0052	Pradip Madhav Sakharshete 516				
	Taluk: Chakur								
	Village: Algarwadi								
1	147	Private	Agricultural	0.0506	Nagnath Rama Sugave 147				
2	147	Private	Agricultural	0.0104	Triyambak Rama Sugave 147				
3	162	Private	Agricultural	0.0169	Umakant Ramlingappa Malbhage 162				
4	162	Private	Agricultural	0.0074	Sanjay Venkatrao Indrale 162				
5	162	Private	Agricultural	0.0086	Harishchandra Pandharinath Kombde 162				
6	162	Private	Agricultural	0.0119	Venkat Babarao Kadangire 162				
7	162	Private	Agricultural	0.0252	Venkat Laxman Dongre 162				
8	174	Private	Agricultural	0.0512	Usha Shivkumar Kore 174				
9	174	Private	Agricultural	0.0188	Algarwadi Road 174				
			TOTAL	0.2424					

[F. No. NHAI/LA/NH-361/2015/3D1]
RAJESH GUPTA, Director